

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

सेवा मे,

प्रबन्धक,
हिमालयन इंटरनैशनल स्कूल,
चिलकाना सरसावा, सहारनपुर।

पत्रांक:- बेसिक/मान्यता/3985-87

/2020-21 दिनांक :- 08.09.2020

विषय:- मान्यता नवीनीकरण के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्र स0 मान्यता/अग्रेजी माध्यम/20526-28/2016-17 दिनांक 27.12.2016 के द्वारा निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिये बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन उप नियम 04 के अधीन आपकी सेस्था कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अग्रेजी माध्यम से अनन्तिम मान्यता दिनांक से आगामी तीन वर्ष के लिये प्रदान की गई है, के नवीनीकरण/स्थायी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरसावा सहारनपुर के पत्र दिनांक 05.09.2020 की आख्या के अनुसार आपके विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त होने के पश्चात उक्त विद्यालय का विगत तीन वर्षो से सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार मान्यता की शर्तों के उल्लंघन करने सम्बंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, के आधार पर शासनादेश संख्या 418/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तार-15 के प्रावधनानुसार उक्त अवधि मे मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है, तो तीन वर्षो की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है, के अधीन यह माना जाता है कि आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

भवदीय

RK
(रमेन्द्र कुमार सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर

पृ०स०/बेसिक/मान्यता/

/2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

Saiya
Principal

Himalayan International School
Sultanpur-Chilkana (Saharanpur)

Manager

Himalayan International School
Sultanpur-Chilkana (Saharanpur)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल,
चिलकाना सरसावा, सहारनपुर।

पत्रांक / मान्यता / अंग्रेजी माध्यम / 20526-28

विषय:-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क
और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन मान्यता
के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं, प्रबन्धक, हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल, चिलकाना सरसावा, सहारनपुर को दिनांक 01.04.2017 से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / सम्बंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उपाबंध 1 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 उपाबंध 2 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा) में, उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ौस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता खोलेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—
 - (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकर्थित न्यूनतम अर्हता के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेंगे।
 - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाये निम्नानुसार है।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल

Santosh
Principal

Himalayan International School
Sultanpur-Chilkana (Saharanpur)

Manager
Himalayan International School
Sultanpur-Chilkana (Saharanpur)

(2)

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक सह कार्यालय, सह भण्डारागर के लिए कक्ष
बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई

बाघा रहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री / कीड़ा खेलकूद उपस्कर्ता/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए - प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजनी चाहिए।

14. हिमालयन इण्टरनेशनल स्कूल, चिलकाना सरसावा, सहारनपुर को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक ई०/०५ / 2017. है। कृपया इसे नोट कर लें। और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याका उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो। और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य-करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।

16. सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि हो तो सुनिश्चित किया जाये।

17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(बुद्ध प्रिय सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

सहारनपुर।

पृ०स० / मान्यता /

/2016-17 / दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक), सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

2. सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद- सहारनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

Santosh
Principal
Himalayan International School
Sultanpur-Chilkana (Saharanpur)

Manager
Himalayan International School
Sultanpur-Chilkana (Saharanpur)